FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत ---उपखण्डाधिकारी---- मुकाम ---- धौलपुर ----

रमेशचंद ------------बनाम -- देव शर्मा व०

किस्म मुकदमां -- 212 RTA -- नम्बर ---- 38 ---- सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म तामील में जारी हुये
23.06.2025	प्रार्थना पत्र बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। वकील सायलान उपस्थित। उन्हें प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय सुना गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। एकपक्षीय सुनने, बहस का मनन करने एवं प्रार्थना पत्र मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया केस एंव सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे प्रतीत होता है। अतः उभयपक्ष को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह विवादित आराजी खसरा नम्बर 428 बांके ग्राम जगरियापुरा तहसील मनिया व जिला धौलपुर की रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति आगामी पेशी दिनांक 21.07.2025 तक बनाये रखें। गैरसायलान को जरिये रजि0 ए0डी0 नोटिस तलब किये जावें। पत्रावली दिनांक 21.07.2025 को पेश हो। उपखण्डाधिकारी धौलपुर (राज0)	
21/7/25	वकील सायलान उप. / गैर सायलान की तलबी का स्टेप जरिये रजिस्टर्ड AD समन अदकर ले। पत्रावली वास्ते इंतजार तलबी दिनांक 9/9/25 को पेश हो। उपखण्डाधिकारी धौलपुर (राज0)	
11-8-25	पत्रावली आज मूल वाद के साथ पेश हुई। वकील सायल ने प्रा०पत्र 212 RTA के विड्रो का प्रा०पत्र पेश किया। मूल वाद विड्रो किया जा चुका है। मूल वाद के अभाव में प्रा०पत्र 212 RTA पोषणीय नहीं है।	रमेशचन्द [illegible]

अतः सायल को प्रा०पत्र 42 RTA बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। प्रा०पत्र 42 RTA बिक्री प्रा०पत्र के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)